



कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले को कथिा रद्द

प्रलिस के लयि:

[POCSO अधनियिड- 2012](#), [संयुक्त राषट्र](#), [भारतीय दंड संहति](#), [अनुचछेद 21](#), [बाल कल्याण सडतति](#), [DNA परीक्षण](#)

डेन्स के लयि:

POCSO अधनियिड और कार्यानवयन के डुदडे, डचुऑ से संबंघति डुदडे

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चरुा डें कुऑ?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही डें एक नाबालगि से डलातकार के आरोडी 23 वरुषीय वुडकुतति, जसिने डीडति से डल डें वविह कर लयि, के खलिा [लैंगकि अपराधुँ से डचुऑ का संरकुषण \(POCSO\) अधनियिड, 2012](#) के तहत चल रूही कारुडवाही कु रद्द कर दयि है ।

- इस नरुणय डें एक चेतावनी शलडलि है, जसिके तहत **यदु वुडकुतति डलवषुड डें अपनी डतुनी और डचुऑ कु छुड देता है तु अपराधकि कारुडवाही कु डुन: शुरु कयि जा सकता है** । इस शरुत का उदुदेशुड डुँ और डचुऑ के कल्याण एवं सुरकुषा कु सुनशुचति करना है ।

न्यायालय ने डलडले कु रद्द करने का औचतुड कुसे सदिध कयि?

- आरोडी के वकील:** तरुक दयि कि आरोडी और डीडति एक-दूसरे से डुरेड करते थे तथा डलता-डतुतल दवलरल वविह के लयि सहडतति जतुतलए जाने के डलद अपराध दरुज कयि गलतु थल । इस डलत डर डुरकाश डललल कु डुँडुँ डरवलर वविह का सडरुथन करने के लयि आगे आए थे ।
- राजुड के वकील:** तरुक दयि कि अपराध कु जघनुड डुरकुतति के कारण डलडले कु रद्द नूही कयि जानल चलहयि, जसिके लयि दस वरुष के कारलवलस कु सजुा हु सकतुी है । डलडले कु सुनवलई के लयि ले जाने के डहततुव डर जुर दयि ।
- न्यायालय का नरुणय:**
 - डीडति और डचुऑ कु सुरकुषल: न्यायालय ने इस डलत डर जुर दयि कि डलडले कु सुलझुलए डनल डलचकुलकरुतुतल कु रहलल करने से डुँ और डचुऑ असुरकुषति हु जलएंगे, उनुँ सलडलजकुल डदनलडुी व संडलवति खतरे का सलडनल करना डडेगल ।
 - डीडति कु संडलवति शतुरुतल: न्यायालय ने कलल कु डीडति के अपने डयलन से डलट जाने कु संडलवनल है, जसिसे डलचकुलकरुतुतल कु दुषी ठहरलए जाने कु संडलवनल डहुत कड है ।
 - नुडलडडूरुतति ने जुरडुनी हकुलकत डर वदुलर करने के डहततुव डर डुरकाश डललल, जसिडें कलल गलतु कि अपराधकि डुकदडे कु लंडल खीचने से अनलवशुडक डीडल हुगी और कसुी डुी अंतुरडुल रहललई कु संडलवनल कड हु जलएगी ।

लैंगकि अपराधुँ से डचुऑ का संरकुषण (POCSO) अधनियिड, 2012 कुडल है?

- डरचुड:** लैंगकि अपराधुँ से डचुऑ का संरकुषण (POCSO) अधनियिड, 2012 डचुऑ कु डुँन शुषण से संरकुषण हेतु डनलडल गलतु थल, जनुवरुष 1989 डें [संयुक्त राषट्र](#) दवलरल [बल अधकुलरुँ डर कनुवेंशन](#) कु अपनाडे के डलवजुद डलरत डें एक डहततुवडूरुण वधलडुी अंतुर कु कड करतल है ।
 - इस अधनियिड के तहत गंडुीर दंड का डुरलवधलन है, जसिडें **20 वरुष तक कु कूद** और गंडुीर **डुँन उतुडुीडन के लयि डृतुडुदंड** तक शलडलि है ।
- आवशुडकतल:** POCSO अधनियिड, 2012 से डूरुव, डलरत का एकडलतुर डलल संरकुषण कलनुन [गुवल डलल अधनियिड, 2003](#) थल । [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#) कु धलरलरुँ 375, 354 और 377 अपरुडलडुत थुी कुऑकु उनडें **डललकुँ के डुरतल हुलए 'अडुरकुतकि अपराध'** कु सडुषुट डरडलषलरुँ डुरदलन नूही कु गई थुी ।
 - डलल डुँन शुषण के डदुते डलडलुँ कु देखते हुलए एक वशुषुट कलनुन कु आवशुडकतल हुई, जसिके डरणलडसुवरुडडडहलल एवं डलल वकुलस डंतुरललड दवलरल POCSO अधनियिड कु ललगु कयि गलतु ।
- सलडलनुड सदिधलंत:**

- **सम्मान पूर्वक व्यवहार कथि जाने का अधिकार:** बच्चों के साथ करुणा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के महत्त्व को दर्शाता है।
- **जीवन और अस्तित्व का अधिकार:** यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को अनुच्छेद 21 के अनुसार सुरक्षा मिले और सुरक्षित वातावरण में उनका पालन पोषण हो।
- **भेदभाव के विरुद्ध अधिकार:** लिंग, धर्म या संस्कृति के आधार पर भेदभाव कथि बना नषिपक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाएँ।
- **नविरक उपायों का अधिकार:** बच्चों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रोकने के लिये प्रशिक्षित करना।
- **सूचित कथि जाने का अधिकार:** बच्चे को कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित रखना।
- **गोपनीयता का अधिकार:** बच्चे की गोपनीयता की रक्षा के लिये कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखना।
- **अपराधों की सुनवाई:** विशेष न्यायालय अभ्युक्त को सुनवाई के लिये भेजे बिना ही संज्ञान ले सकती है। बच्चे को अभ्युक्त के संपर्क में आने से रोकने के प्रयास कथि जाने चाहिये।
 - **साक्ष्य 30 दिनों के भीतर दर्ज कथि जाने चाहिये** और संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।
 - चकित्सा जाँच के महत्त्व पर जोर दिया गया है, लेकिन ध्यान दिया गया है कि शारीरिक चोटें हमेशा मौजूद नहीं हो सकती हैं।
 - धारा 42A यह सुनिश्चित करती है कि **POCSO प्रावधान किसी भी परस्पर विरोधी कानून को दरकिनार कर दें।**
- **POCSO अधिनियम की कमियाँ:**
 - **अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग:** अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह सिद्धांत कमजोर है, जिससे गलत दोषसिद्धि का जोखिम है।
 - यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से पहले पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया है और कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, तो यह प्रबल अनुमान है कि वह अपराध के लिये ज़िम्मेदार है।
 - **सहमति से शारीरिक क्रियाकलाप:** यह अधिनियम नाबालग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले गैर-नाबालग साथी पर मुकदमा चलाता है, क्योंकि नाबालगों की सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है।
 - **बच्चों द्वारा झूठी शिकायतें:** धारा 22 बच्चों को झूठी शिकायतों के लिये सज़ा से छूट देती है, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।
 - **टू-फरिग टैस्ट:** वर्ष 2012 में प्रतर्बिधित होने के बावजूद, यह परीक्षण अभी भी कथि जाता है, जो पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, जैसा कि लिलिलू @ राजेश बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में उल्लेख कथि गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में पुष्टि की कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर आक्रामक 'टू-फरिग' या 'थ्री-फरिग' यौन परीक्षण करना कदाचार माना जाता है। इन परीक्षणों को प्रतर्गामी माना जाता है और यह नरिधारित करने के लिये उपयोग कथि जाता है कि क्या पीड़ित यौन संबंध के लिये "आदी" थी।
 - **अप्रस्तुत जाँच तंत्र:** बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होइंगोली एवं अन्य बनाम भवत एवं अन्य, 2017 के मामले में, दोषपूर्ण जाँच प्रक्रियाओं को उजागर करते हुए, बिना सील कथि गए साक्ष्य के कारण अभ्युक्तों को बरी कर दिया।
- **अपराधों के लिये सज़ा:**
- **POCSO अधिनियम, 2012 में शामिल अपराधों के लिये सज़ा**
- **उपर्युक्त अपराधों के लिये सज़ा तालिका में नरिदिष्ट है:**

अपराध का नाम	POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान	सज़ा
16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जसिे आजीवन कारावास और जुरमाना तक बढ़ाया जा सकता है
16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जसिे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुरमाने तक बढ़ाया जा सकता है
गंभीर प्रवेशन यौन हमला	धारा 6	न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जसिे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुरमाना या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है
यौन उत्पीड़न	धारा 8	3 से 5 वर्ष की कैद और जुरमाना
गंभीर यौन हमला	धारा 10	5 से 7 वर्ष की कैद और जुरमाना
यौन उत्पीड़न	धारा 12	कारावास जसिे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुरमाना भी लगाया जा सकता है।
पोर्नोग्राफी के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(1)	पहली दोषसिद्धि- 5 वर्ष तक की कैद, दूसरी या आगे की सजा- 7 वर्ष तक की कैद और जुरमाना
धारा 3 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग।	धारा 14(2)	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास। आजीवन कारावास और जुरमाना तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 5 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(3)	आजीवन कठोर कारावास और जुरमाना
धारा 7 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना	धारा 14(4)	6 से 8 वर्ष की कैद और जुरमाना
धारा 9 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना।	धारा 14(5)	8 से 10 वर्ष की कैद और जुरमाना
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किसी बच्चे से	धारा 15	3 वर्ष तक का कारावास या जुरमाना या दोनों

POCSO अधिनियम, 2012 पर महत्त्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएँ

- **बर्जिय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2017:** इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की गरमा की रक्षा के लिये नरिदेश जारी किये।
 - पुलिस को POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिये और पीड़ितों तथा उनके माता-पिता को कानूनी सहायता अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिये।
 - पोक्सो अधिनियम की धारा 27 के अनुसार **प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR)** दर्ज होने के बाद बच्चे की तत्काल चिकित्सा जाँच कराई जाएगी।
 - **कशोर न्याय अधिनियम** के तहत 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के रूप में पहचाने गए पीड़ितों को **बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee- CWC)** को भेजा जाना चाहिये। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।
 - विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम सत्र पर मुआवज़ा प्रदान किया जा सकता है, जो कि दोषसिद्धि के बाद दोषी को दिये जाने वाले मुआवज़े से स्वतंत्र होगा, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चे को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।
 - **वशिष्ठ कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2017:** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 36 के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दशिया-नरिदेशों में शामिल हैं:
 - यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही के दौरान बाल गवाहों को सहजता महसूस हो, संभवतः बंद कमरे में सत्र के माध्यम से तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके।
 - **साक्ष्य नियमों में लचीलापन प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर सत्य को प्राथमिकता देता है।** बच्चों के बयानों को रिकॉर्ड करते समय आराम और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये ब्रेक की अनुमति होनी चाहिये।
 - **दनिश कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ नमिनलखित थीं:
 - **यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिये चोटें आवश्यक नहीं हैं,** पीड़ित की गवाही महत्त्वपूर्ण है।
 - न्यायालयों को नाबालगों पर बाहरी प्रभावों के कारण झूठे आरोपों की संभावना पर वचिार करना चाहिये।
 - **सुंदरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017:** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालगि की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य नरिदेश:
 - **नाबालगि के लिये माता-पिता की सहमति ही पर्याप्त है,** नाबालगि की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गर्भपात का अधिकार संवधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।
 - चिकित्सकों की एक समिति को गर्भपात अनुरोध का मूल्यांकन करना चाहिये। गर्भपात के बाद, भ्रूण के **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA)** परीक्षण को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिये।

ट्विस्ट भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. नाबालगों को यौन शोषण से बचाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और उनका महत्त्व क्या है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थितिपर प्रकाश डालिये। (वर्ष 2016)